

भाजपा ही जानें कि भाजपा का भविष्य क्या होगा, फिलहाल घटना के 24 घंटे बाद भी अपनी ही सत्ता में अपने ही जिलाध्यक्ष के साथ बदसलूकी करने वाले सब इंस्पेक्टर का पता तक नहीं हिल सका।

जीएसटी छापेमारी में जयराम सोप फैक्ट्री पर मिली विसंगतियां

साढ़े छह लाख का सामान जब्त, वसूला 2.18 लाख रुपए का अर्थदंड

[illegible]

- ▶ सीआईए टीम ने आरोपी के आवास पर करीब डेढ़ घंटे तक चलाया सर्च अभियान
- ▶ नोमान इलाही के मकान से बरामद किए पासपोर्ट, आधार कार्ड, और जरूरी कागजात

अलर्ट मोड पर खुफिया विभाग, टीम के सर्च अभियान के दौरान चौकन्ना रहा खुफिया विभाग

कैराना। आरोपी नैमान की गिरफ्तारी के बाद से ही एलआईयू,आईबी व साइबर विभाग सहित अन्य टीम अलर्ट नजर आ रही है। मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण लोकल खुफिया तंत्र स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर गुप्त तरीके से आरोपी युवक की कुंडली खंगालते में जुट हुआ है। पुलिस टीम जांच कर रही है कि आरोपी युवक कैराना में किन-किन लोगों के सम्पर्क में रहा है। हालांकि सूत्रों की माने तो सीआईए प्रथम की टीम की जांच के दौरान कई लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन अब आरोपी की जब जांच पूरी हो जाए, तो बाद में टीम किस किससे पूछताछ करती है, यह तो आगे की कार्यवाही के बाद ही पता चल सकेगा।

मुजफ्फरनगर, १६ (बु.) यहां स्थित लाइन शव में चौधरी चरणसिंह मार्कोट पर्सर में एक युवक ने भीषण चोटों का आलमदाह कर दिया। बताया जाता है कि युवक मम ने मिलने के कारण पिछले काफ़ी समय से अन्वतार में चल रहा था, जिस कारण उसने ऐसा किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। चौधरी चरण सिंह मार्कोट पर्सर में रोहना खुद नियासी २३ वर्षीय एक्सवाइलेंट अरण परिवार के साथ रहा है। एसाआई प्रताप गिरी ने बताया कि अरण के परिवार के लोग च से बाहर गए हुए थे। इसी दौरान अरण ने भीषण भीषण आलमदाह कर दिया। परिजनों के लौटने पर उन्होंने अरण का शव देख से लटका देकर पुलिस को मामला की जानकारी दी। पुलिस ने लांच पकड़ के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एसाआई ने पिछले काफ़ी समय से अन्वतार में अरण युवक पिछले कुछ समय से अन्वतार में चल रहा था, जिससे चले उसने उससे आलमदाह की है। हादसे से परिजनों में कोहलम मम हुआ है।

[illegible]



और इस्कॉन-मुर्बों के बीच लंबे समय से चले आ रहे खामिल और प्रबंधन विवाद को खत्म कर दिया। विवाद को खंडे इस्कॉन के भीतर आंतिष्क मतभेदों में निहित हैं, जो इसे संस्थापक सदस्य श्रील प्रभुपाद के निम्न के बाद शुरू हुई थीं। वर्ष 1981 में स्थापित इस्कॉन-बैंगलोर में पश्चिमी अनुयायियों द्वारा नेतृत्व के उत्तराधिकार का विरोध किया था जिसके कारण इस्कॉन-मुर्बों के साथ मतभेद पैदा हो गए थे। वह मामला विभिन्न मंचों से हो रहा निचली अदालत, उच्च उच्च न्यायालय और अंत में शीर्ष अदालत पहुंचा।